# न्यायिक एकांत संसीमन

**एकांत संसीमन का दण्डादेश**

**540.** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एवं 74 के अधीन दिए गये एकांत संसीमन के निर्णय का क्रियान्वयन सश्रम या बिना कठिन श्रम के संसीमन के दण्डादेश के रूप में होगा, जिसमें किसी बंदी को अन्य बंदियों से संवाद विहीन, किन्तु दृष्टि से ओझल नहीं, बिल्कुल अकेले में रखा जाता है।

**एकान्त संसीमन की अधिकतम अनुमान्य अवधि**

**541.** किसी न्यायालय द्वारा आदेशित एकांत संसीमन की अवधि अधिक नहीं होगी –

(i) एक माह, यदि कारावास की अवधि छः माह से अधिक न हो

(ii) दो माह, यदि कारावास की अवधि छः माह से अधिक हो किन्तु एक वर्ष से अधिक न हो।

(iii) तीन माह, यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो।

**नोटः–1.** एकांत संसीमन के प्रयोजन के लिए एक माह से 30 दिनों का बोध होता है;

**नोटः–2.** एक माह के दण्डादेश के साथ एकांत संसीमन की अधिकतम अनुमान्य अवधि 14 दिन है।

**एकांत संसीमन के दण्डादेश का क्रियान्वयन**

**542.** एकांत संसीमन के दण्डादेश के क्रियान्वयन में ऐसे संसीमन की अवधि किसी भी मामले में चौदह दिनों से अधिक नहीं होगी, जिसमें एकांत संसीमन की अवधि के बीच का अन्तराल ऐसी अवधि से कम नहीं होगी, और जब दिया गया कारावास तीन महीने से अधिक का होगा, तब एकांत संसीमन दिये गये संपूर्ण कारावास के किसी महीने में सात दिन से अधिक नहीं होगा, जिसमें एकांत संसीमन की अवधि के बीच का अन्तराल ऐसी अवधि से कम अवधि का नहीं होगा।

**एकांत संसीमन के आदेश में अनियमितता के मामले का उल्लेख**

**543.** यदि किसी वारंट में एकांत संसीमन से संबंधित ऐसा आदेश हो, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 या 74 के विरूद्ध हो तो इस नियमावली में निर्धारित नियमों के अनुसार मामले को महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ के पास भेज दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी बंदी, जिसे सात महीने का कारावास दण्ड दिया गया हो, को दो महीने का एकांत संसीमन का आदेश दिया जाता है, तब इस प्रकार की कार्रवाई आवश्यक हो जाएगी।

**एकांत संसीमन के न्यायिक दण्डादेश के क्रियान्वयन की प्रक्रियाः**

**544.** किसी बंदी को तब तक एकान्त संसीमन में नहीं रखा जाएगा जब तक चिकित्सा पदाधिकारी प्रमाणित नहीं करता कि वह इसके योग्य है।

**545.** एकांत संसीमन के दण्डादेश वाले बंदियों को साधारणतः चार टोलियों में विभाजित किया जाएगा; प्रत्येक टोली को एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रकोष्ठों में रखा जाएगा, जिससे कि प्रकोष्ठो का पूरी तरह उपयोग हो सके और साथ ही साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 तथा 74 की अपेक्षाओं का अनुपालन भी किया जाएगा। एकांत संसीमन में टोलियों को डालने के लिए प्रत्येक महीने का पहला, आठवाँ, पन्द्रहवाँ और बाईसवाँ दिन निर्धारित करना सुविधाप्रद रहेगा।

**546.** किसी बंदी, जो उस समय अयोग्य हो, को, यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 74 द्वारा लगायी गयी शर्तें अनुमत करती है तो किसी परवर्ती तारीख को प्रकोष्ठ में डाला जाएगा।

**547.** एकांत संसीमन के दण्डादेश के क्रियान्वयन को अपील के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकेगा।

**548.** एकांत संसीमन में रहनेवाले प्रत्येक बंदी को देखने चिकित्सा पदाधिकारी और उपाधीक्षक प्रति दिन आएँगे।

**549.** यदि किसी अवधि के न्यायिक संसीमन के पूर्व कोई बंदी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे संसीमन में रहने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या किसी अवधि के न्यायिक एकांत संसीमन के दौरान, चिकित्सा पदाधिकारी के आदेशों के अधीन, किसी बंदी को उसके दिमाग या शरीर पर के आघात के आधार पर बाहर निकालना आवश्यक हो जाए तो इस वास्तविकता की सूचना महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ और दण्डादेश देने वाले न्यायालय को दी जाएगी।

**550.** यदि न्यायिक एकांत संसीमन के दण्डादेश वाले किसी बंदी को चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे संसीमन के लिए हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो मामले की सूचना दण्डादेश देनेवाले न्यायालय को दे दी जाएगी और एकांत संसीमन के आदेश का पालन नहीं किया जाएगा।

**वह समय जिसके प्रभाव से एक से अधिक वारंटो पर दण्डादेश से गुजर रहे किसी बंदी को एकांत संसीमन दिया जाएगाः**

551. यदि किसी बंदी को दो या अधिक वारंटों के अधीन दण्डादेश दिया गया हो, तो उसको सुनाये गये एकान्त संसीमन की अवधि उस दंडादेश के समय से प्रभावी होगी जिसका विस्तार यह है।

**दंडादेश की समाप्ति के उपरांत अभिरक्षा अधिपत्र का पृष्ठांकन**

552. न्यायिक एकांत संसीमन सुनाये गये प्रत्येक बंदी के दंडादेश, दंडादेश के क्रियान्वयन को प्रमाणित करते हुए अधीक्षक द्वारा वारंट पर पृष्ठांकन में बंदी द्वारा न्यायिक एकांत संसीमन में गुजारी जानेवाले संपूर्ण अवधि का उल्लेख सप्ताहों या दिनों या आंशिक रूप से दिनों तथा आंशिक रूप से सप्ताहों में किया जाएगा; और यदि ऐसे दंडादेश का कोई भाग क्रियान्वित नहीं हो पाता है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाएगा।

**एकांत संसीमन से गुजरनेवाले किसी बंदी के प्रकोष्ठ संसीमन के कारावास दण्ड पर रोक**

553. न्यायिक एकांत संसीमन की अवधि से गुजरने वाले किसी बंदी को ऐसे संसीमन की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा गुजारी गयी एकांत संसीमन की अवधि के बराबर की अवधि के भीतर कारावास हेतु प्रकोष्ठ संसीमन दंड नहीं दिया जाएगा।

**एकांत संसीमन के अभिलेख**

554. किसी बंदी के एकांत संसीमन से गुजरने के प्रत्येक अवसर पर उपाधीक्षक बंदी के इति वृत पत्रक पर बंदी के प्रकोष्ठ में डाले जाने की तारीख, उसके बाहर निकलने की तारीख और ऐसे संसीमन में गुजारे गये दिनों की संख्या दर्ज करेगा। प्रविष्टियों की शुरूआत उपाधीक्षक और अधीक्षक द्वारा की जाएगी। जब आंशिक रूप से एकांत संसीमन के दंडादेश भोगने वाले किसी बंदी को किसी दूसरे कारा में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो स्थानांतरण की तारीख तक उसके द्वारा भेजे गये एकांत संसीमन की अवधि को वारंट की पीठ पर अधीक्षक के द्वारा पृष्ठांकित किया जायेगा।